उपसंहार

भारत - नेपाल सम्बन्धों के स्त्रातजिक अध्ययन एवं राजनीतिक, सामरिक एवं आर्थिक सन्दर्भों के विश्लेषण से न केवल दोनों राष्ट्रों के बदलते हुए राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य का आभास होता है बल्कि निवर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बड़े राष्ट्रों के सामरिक एवं राजनीतिक वर्चस्व की आकांक्षा एवं छोटे राष्ट्रों की अपने राष्ट्रीय पहचान एवं अस्मिता बनाये रखने की संवेदनशीलता का भी प्रतिबिम्ब स्पष्ट दिखायी पड़ता है। अभी तक के प्रवाह और आने वाले संभावित चुनौतियों को देखते हुए यह निश्चय ही कहा जा सकता है कि भारत - नेपाल सम्बन्ध सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक सम्बन्धों के साथ - साथ सुरक्षा और आर्थिक विकास के उद्देश्यों की धुरी पर घूमते रहेंगे। सामरिक सुरक्षा की दृष्टि से भारत के लिए नेपाल उतना ही आवश्यक है जितना कि चीन के लिए तिब्बत। वहीं दूसरी ओर भौगोलिक परिवेष्ठता के कारण नेपाल के लिए भारतीय सद्भावना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

वस्तुतः भारत एवं नेपाल एक अत्यन्त विस्तृत काल-क्रम में एक-दूसरे से अनेक बंधनों से जुड़े हुए ऐसे दो राष्ट्र है जिनके सम्बन्धों के वैशिष्ट्य को पूरी तरह से आंकने के लिए इतिहास एवं इस क्षेत्र के भू-राजनीतिक मानचित्र को सदैव ही सामने रखना पड़ेगा। धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषायी समरूपता के अलावा दोनों राष्ट्रों की राजनीतिक संस्कृति भी इस एकात्मकता का बोध कराती है। इसी व्यापक संदर्भ में भारत एवं नेपाल के सम्बन्ध एक विशेष मित्रता का बोध कराते हैं जिनका स्पष्ट उदाहरण दोनों राष्ट्रों के बीच समय - समय पर सम्पन्न संधियों की लम्बी श्रृंखला से मिलता है।

भारत - नेपाल के विशिष्ट राजनीतिक, सांस्कृतिक सम्बन्ध भारतीय स्वतंत्रता के बाद दोनों राष्ट्रों के मध्य संधियों एवं समझौतों के लम्बी श्रृंखला में व्यक्त होते हैं। वस्तुतः ब्रिटिश राज द्वारा नेपाल को अव्यक्त रूप से औपनिवेशिक शिकंजे में जकड़ दिए जाने की नीति नेहरू के

प्रजातांत्रिक मानस को स्वीकार्य नहीं थे। लेकिन नेपाल को सुरक्षा की दृष्टि से एक बफर राज्य बने रहने देने के पक्ष में भारतीय नीति निर्देशक निश्चिंत थे। 1949 में हुई चीनी साम्यवादी क्रांति और तिब्बत में चीनीयों का बढ़ता हुआ वर्चस्व इन परिवर्तनों के कारण भारत अपनी सुरक्षा को सिक्किम, भूटान एवं नेपाल जैसे बफर राज्यों से सम्पुष्ट करना चाहता था। इस तरह से स्वतंत्र एवं प्रजातांत्रिक भारत भी हिमालय में ब्रिटेन द्वारा प्रतिपादित सामरिक रणनीति का प्रणेता बन गया।

वहीं दूसरी ओर नेपाल के शासकों को भी भारत की हिमालय राज्यों के प्रति सुरक्षा दृष्टिकोण स्वीकार्य थी। इसी संदर्भ में 1950 में सम्पन्न शांति एवं मित्रता की संधि आग्रह करती है कि दोनों राष्ट्र अपनी क्षेत्रीय अखंडता पर कोई चुनौती आने पर एक दूसरे से विचार - विमर्श करेंगे। इस तरह से देखा जाय तो 1923 में ब्रिटिश भारत के साथ की गयी संधि को ही नये संदर्भों में पुनः परिभाषित किया गया। लेकिन इस बार भारत एवं नेपाल दोनों राष्ट्रों के शासकों की सहमति इस संधि का आधार बनी। लेकिन नरेश त्रिभुवन के मार्च 1955 में निधन के पश्चात यही संधि भारत एवं नेपाल के बीच लगातार असंतोष एवं अर्न्तविरोध का विषय बनी रही और इस संधि को पुनः धारणागत करने के प्रयास जैसे - 1960, 1971, 1978,1991,1996 एवं 2002 में किए गए। फिर भी संदेह एवं अविश्वास बना रहा।

सबसे पहले नरेश महेन्द्र को भारत द्वारा दक्षिण एशिया में प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना के आग्रह से वर्जना थी। दूसरे महेन्द्र भारत के क्षेत्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण के लिए नेपाल की राष्ट्रीय सम्प्रभुता एवं पहचान का किंचित भी त्याग नहीं करना चाहते थे। महेन्द्र के ही समय नेपाल और चीन के सम्बन्ध पुख्ता होने लगे और नेपाल ने भारत और चीन दोनों के बीच गुटनिरपेक्षता का अनूठा प्रचलन प्रारंभ किया। इससे भारत - नेपाल के सम्बन्धों में नये-नये अवरोध उपस्थित हुए।

इस तरह से एक सुखद आरंभ के बाद छठवें दशक के प्रारंभ में भारत एवं नेपाल के सम्बन्ध सरकार के स्तर पर काफी बिगड़ चुके थे। भारत द्वारा प्रजातांत्रिक मुल्यों से प्रतिबद्ध नेपाली कांग्रेस का पक्ष लिया जाना, वहीं दूसरी ओर भारत - चीन सम्बन्धों में गिरावट और चीन का नेपाल में बढ़ता हुआ प्रभाव, इन दोनों ने भारत - नेपाल सम्बन्धों में गिरावट ला दी। राजा महेन्द्र द्वारा 1960 में कोइराला सरकार को पदच्युत कर दिए जाने के बाद नेहरू द्वारा नेपाली राजतंत्र की खुलकर आलोचना की गयी। जिससे सम्बन्धों का नकारात्मक पक्ष और भी प्रखर हुआ। भारत - चीन युद्ध में नेपाल के असंलग्नता ने इन सम्बन्धों में और भी कटुता उत्पन्न की। इस तरह छठवें दशक में 1965 में सम्पन्न एक गुप्त समझौते के बावजूद भी भारत - नेपाल सम्बन्धों में दरार बनी रहीं यद्यपि इस समझौते के माध्यम से भारत ने सैनिक शस्त्रों को नेपाल को प्रदान करने के बारे में वर्चस्व बना लिया।

सातवें दशक के प्रारंभिक चरण में विशेषकर नरेश महेन्द्र के 1972 के अवसान के बाद राजा वीरेन्द्र के पदासीन होने के बाद भारत - नेपाल सम्बन्धों में अनेक नये तत्वों का समावेश देखा जा सकता है। इसमें सबसे प्रमुख था नेपाल का "शांति क्षेत्र प्रस्ताव"। जिसे नरेश वीरेन्द्र ने 1973 में अल्जीयर्स गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में प्रतिपादित किया। मोटे तौर पर यह कहा जाय तो इस प्रस्ताव के माध्यम से सैन्य रूप से दुर्बल एवं आर्थिक रूप से अल्पविकसित नेपाल ने भारत एवं चीन जैसे दीर्घराज्यों के सैनिक और राजनीतिक अतिक्रमण के विरूद्ध अंतर्राष्ट्रीय आश्वासन की मांग की। लेकिन भारतीय नीति निर्देशक इस प्रस्ताव के पक्ष में नहीं रहे। और1972 से 1990 तक लगातार जब-जब शांति क्षेत्र प्रस्ताव की बात आयी, भारत ने उसे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अस्वीकार किया। भारत शांति क्षेत्र प्रस्ताव का खुलकर नहीं विरोध कर सकता था, लेकिन अनेक तर्कों के माध्यम से उसने इसे अन्तर्राष्ट्रीय कानूनी मान्यता नहीं मिलने दी। यह एक अलग बात है कि नेपाल के शांति क्षेत्र प्रस्ताव का विश्व के अधिकांश राष्ट्रों एवं संस्थाओं ने समर्थन किया।

गौर से देखा जाय तो जहाँ एक ओर शांति क्षेत्र प्रस्ताव के माध्यम से नेपाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सुरक्षा का आश्वासन और इसके साथ ही एक स्वायत्त क्षेत्रीय पहचान बनाना चाहता था, वहीं दूसरी ओर भारतीय दृष्टिकोण से यह भारत - नेपाल विशेष सम्बन्ध जिन्हें 1950 की संधि द्वारा परिभाषित किया गया, उसे समाप्त करने का प्रयास माना गया।

यद्यपि सैद्धान्तिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नेपाल ने शांति क्षेत्र की अवधारणा का प्रतिपादन कर लोकप्रियता पायी और साथ ही पाया दक्षिण एशिया में भारत की विरोधी शक्तियों का समर्थन वहीं दूसरी ओर यह भी स्पष्ट था कि भारत की सहमति के बिना यह सारी धारणा अर्थहीन थी। जो भी हो इस प्रस्ताव के माध्यम से नेपाल ने विश्वस्तर पर छोटे एवं कमजोर राष्ट्रों की असुरक्षा की संवेदना को उठाकर क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नवीन विचारधारा का सूत्रपात किया।

नेपाल में माओवादी हिंसा में चीनी कम्युनिस्टों, नक्सलवादियों, पीपुल्स वॉर ग्रुप (आन्ध्र) और आई.एस.आई. (पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था) का ही गठजोड़ काम कर रहा है। इनमें अपराधिक तत्वों का भी सहयोग है। भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा के कारण आई.एस.आई. इसका खुला दुरूपयोग करती है। चीन भी लम्बे अरसे से इसी प्रयास में है कि नेपाल में भारत का महत्व कम कर दिया जाय। वह नेपाल की सभी तरह की परियोजनाओं को अपने हाथ में लेना चाहता है। आज भी काठमांडू का "चाईना बाजार" सबसे सस्ता है यहीं से भारत में चीनी माल की तस्करी होती है अगर वहाँ चीन समर्थक दलों का शासन हो जाय तो भारत को कमजोर करने में चीन सफल हो सकता है। चीन के इस मन्सूबे को पूरा करने मे भारत के माओवादी गुट भी पूर्ण सहयोग करना चाहते हैं। गोरखा लैण्ड के नेता सुभाष घीसिंग की बात मान ली जाय तो कम्युनिस्ट एक महा नेपाल "वृहत्तर नेपाल" बनाना चाहते हैं जिसमें दार्जलिंग, दुआर, भुटान, अलमोड़ा, उत्तर काशी, बद्रीनाथ, सिक्किम एवं अरूणांचल को सम्मिलित करना चाहते हैं।

नेपाल में आतंकवादी हिंसा के पीछे यह भी तर्क है कि माओवादी नेपाल, बिहार, आन्ध्र का दण्डकारण्य क्षेत्र मिलाकर एक विस्तृत, व्यवस्थित, क्रान्तिकारी क्षेत्र (कॉम्पेक्ट रिवोल्यूशनरी जोन) बनाना चाहते हैं। जिसमें नेपाल के माओवादी, बिहार के नक्सली और आन्ध्र के पीपुल्स वॉर ग्रुप के क्रान्तिकारी उत्तर प्रदेश और बिहार के अपराधी तत्वों को मिलाकर संघर्ष का प्रयास कर रहे हैं। इसमें प्रमुख हाथ पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था (आई.एस.आई.) का है।

भारत के लिए यह चिन्ता का प्रश्न है कि नेपाल विभिन्न राष्ट्रों की जासूसियों एवं अपराधियों का केन्द्र बनता जा रहा है। जिसका प्रतिकूल असर भारत की आंतरिक सुरक्षा पर पड़ सकता है। भारत नेपाल में माओवादियों, आई.एस.आई., नक्सलियों, अपराधियों आदि के गठजोड़ को पूरी तरह से नष्ट करना चाहता है।

इस तरह नेपाल में माओवादी विस्तार भारत - नेपाल सम्बन्धों पर गहरा असर डाल सकता है। इन्हीं संदर्भों में भारत ने नेपाल को माओवादी समस्या को नियंत्रित करने के लिए सैन्य मदद दी है। भारत द्वारा इस कार्य में कोताही नहीं बरती जानी चाहिए साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि नेपाली जनता, अधिकारियों और राजनीतिज्ञों में हीन भावना न पनपने पाये क्योंकि ऐसी स्थिति में भारतीय राजनय को सफल नहीं माना जा सकता।

भारत एवं नेपाल के मध्य प्राजातांत्रिक मूल्यों के संवहन का प्रश्न भी अत्यन्त महत्वपूर्ण रहा है जैसा कि प्रबंध के उक्त विषय पर संकलित अध्याय से स्पष्ट है कि भारतीय राजनीतिज्ञों ने नेपाल में प्रजातंत्र की स्थापना को सदैव ही एक महत्वपूर्ण प्रश्न माना। नेहरू ने तो अनेक बार अपने रणनीतिज्ञों एवं सामरिक नीतिवेत्ताओं के प्रतिकार किए जाने के बाद भी नेपाल में जनतांत्रिक संघर्ष का लगातार समर्थन किया। वी.पी. कोइराला और नेपाली कांग्रेस से भारतीय राजनीतिज्ञों के अप्रतिम सम्बन्ध थे। कालांतर में प्रजातंत्र की पुनः स्थापना के लिए किए जा रहे संघर्ष का भारत

में जन-नेतृत्व द्वारा स्वागत किया गया एवं इसको महत्वपूर्ण नैतिक समर्थन भी दिया गया। नेपाल में पंचायत व्यवस्था के समर्थकों का यह दावा था कि यह आंदोलन की प्रजातांत्रिक संघर्ष वास्तव में भारत द्वारा संचालित हैं। जो भी हो नेपाली जनता ने अभूतपूर्व आन्दोलन करके निर्दलीय पंचायती व्यवस्था को समाप्त कर एक जनतांत्रिक बहुदलीय प्रणाली की स्थापना की और इसके साथ ही प्रारंभ हुआ भारत - नेपाल सम्बन्धों का एक नया दौर।

नेपाल में प्रजातंत्र की पुनः स्थापना ने पिछले दशक के अनेक अवरोधों को दूर किया। एक प्रमुख अवरोध था- व्यापार एवं पारगमन के प्रश्न पर 1978 में किए गये समझौते को लागू करने का। 1978 में संपन्न व्यापार एवं पारगमन सम्बन्धी समझौता भारत ने 1989 में पुनः नवीनीकरण न करने का निश्चय किया। जिससे यह समस्या आसन्न हुई। वस्तुतः 1978 का समझौता मात्र 5 वर्ष के लिए था जिसे पुनः 5 वर्ष के लिए नवीनीकरण किया जा सकता हैं परंतु पारगमन के अंतर्गत निश्चित सात वर्ष के कार्यकाल के पश्चात नवीनीकरण का प्रावधान नहीं था।

1983 में व्यापार और अनधिकृत व्यापार को तो पांच वर्ष के लिए पुनः नवीनीकरण कर दिया गया परन्तु पारगमन में पुनः नवीनीकरण नहीं किया गया बल्कि इसे लगातार चार वर्ष तक छः-छः माह के लिए बढ़ाया गया। नेपाल को इस समझौते के नवीनीकरण के लिए अनेक बार स्मरण भी कराया गया किंतु नेपाल ने इस ओर बिल्कुल ही ध्यान न दिया। परिणामतः 23 मार्च 1989 को व्यापार, अनधिकृत व्यापार और पारगमन समझौता समाप्त हो गया तथा नेपाल को गंभीर संकट का सामना करना पड़ा इस प्रकार का संकट 31 अक्टूबर 1970 के पश्चात् प्रारंभ हुआ जिसमें कि अतिरिक्त मांग की भारत अवहेलना करता रहा। जिसकी परिणति 13 अगस्त 1971 को हुआ। इस दस माह के बीच नेपाल वासियों को दिन - प्रतिदिन की कठिनाइयां उठानी पड़ी। इसी प्रकार भारत-नेपाल के बिखरते सम्बन्धों में पड़ी दरार तब और भी गहरी हो गई जब 23 मार्च 1989 को दोनों देशों के मध्य व्यापार और पारगमन समझौते समाप्त हो गये।

11 वर्ष पुराना समझौता 15 माह तक दोनों के मध्य गतिरोध उत्पन्न करता रहा। इस गतिरोध का प्रमुख कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेपाल की भारत विरोधी नीति, नेपाल में भारतीय हितों की उपेक्षा तथा भारत के सम्बन्ध में गैर-जिम्मेदाराना दुष्प्रचार रहे। नेपाल की पंचायती सरकार ने साम्यवादी चीन से भारी मात्रा में शस्त्र खरीदने का सौदा किया। चीनी शस्त्रों की पहली खेप 1988 की वर्षा के प्रारंभ के पूर्व ही ल्हासा-काठमांडू को जोड़ने वाले चीन निर्मित राज्यमार्ग से होकर आयी। भारत ने इसका कड़ा विरोध किया। लेकिन तत्कालीन नेपाली पंचायती सरकार ने चीन से शस्त्र आयात करने के अपने निर्णय को उचित ठहराया तथा भारत की नाराजगी को इस पड़ोसी छोटे राजतंत्र और सार्वभौम देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करार दिया। दूसरी ओर भारत-नेपाल समझौते की धाराओं के विपरीत नेपाल ने चीन से आयातित वस्तुओं पर कर बढ़ा दिया। साथ ही, नेपाली पंचायत को देश में भारतीयों पर वर्क परमिट लागू करने का निर्णय ले लिया गया। जिसके कारण पहले 30 वर्षों से नेपाल के सरकारी, गैर-सरकारी, संस्थाओं में कार्यरत हजारों भारतीय बुरी तरह से प्रभावित हुए।

नेपाल की आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे बिगड़ती चली गयी। इन समझौतों की समाप्ति से व्यवहारिक रूप से व्यापार को अधिमान देने की व्यवस्था का अंत हो गया जो कि सन् 1950 से प्रचलित था। जिसका दूरगामी परिणाम नेपाल के राजनीतिक परिदृश्य पर पड़ा। नेपाली सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था के दबाव ने नेपाल नरेश के शासन के विरूद्ध सशक्त लोकप्रिय असंतोष को जन्म दिया। नेपाली जनता ने राजतंत्रीय निरंकुशवादी शासन व्यवस्था का अंत करने का निश्चय किया जो पंचायती व्यवस्था के नामाधीन चलायी जा रही थी। स्पष्टतः पंचायती व्यवस्था की पकड़ ढीली पड़ती गयी तथा दिशाहीन होगी। देश के राजनीतिक दलों में जीवन आने लगा। परिणामस्वरूप नेपाल की पंचायती व्यवस्था की अप्रासंगिकता उभर कर देश के भीतर और बाहर सुस्पष्ट होने लगी। वर्तमान समय में नेपाल के राजा ज्ञानेन्द्र ने नेपाल में लोकतंत्र को समाप्त कर राजतंत्र लागू

कर दिया गया जिसके संदर्भ में भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नेपाल नरेश ज्ञानेन्द्र से स्पष्ट कर दिया कि भारत नेपाल में लोकतंत्र का समर्थन करता है।

नेपाल का चीन से शस्त्र खरीदने का निर्णय, पेट्रोलियम उत्पादों तथा नमक की आपूर्ति के लिए चीन से तदर्थ समझौता, श्रीलंका में भारत द्वारा गोरखा सैनिकों को लगाए जाने के मामले को उठाना, पाकिस्तान के साथ आँख - मिचौली, नेपाली नेताओं द्वारा भारत के विरूद्ध शब्द युद्ध की बौछार, नागरिक समस्या पर नये सिरे से विचार करने की नेपाल सरकार की धमकी आदि इन सब बातों का दोनों राष्ट्रों के सम्बन्धों में दुष्प्रभाव पड़ा।

इसी तरह से शांति प्रस्ताव सम्बन्धी उलझने भी भारत - नेपाल सम्बन्धों से दूर हो चली है। कोइराला, भट्टराई सरकार और यहाँ तक कि मनमोहन अधिकारी की साम्यवादी सरकार ने भी शांति क्षेत्र प्रस्ताव को कोई महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं माना।

भारत - नेपाल मधुर सम्बन्धों का एक नया दौर पुनः नेपाली प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला की 5 दिसम्बर 1991 की छः दिवसीय भारत यात्रा से शुरू हुआ। इस यात्रा के दौरान नेपाली प्रधानमंत्री ने अपने नेतृत्व मे आये प्रतिनिधि मण्डल के साथ दोनों देशों के बीच चले आ रहे सदियों पुराने सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा शैक्षणिक सम्बन्धों की और अधिक सुदृढ़ करने की उत्कट इच्छा व्यक्त की। फिर भी पिछले अनेक वर्षों में यह पहला अवसर था जबकि किसी नेपाली प्रधानमंत्री ने दक्षिण एशिया की सामरिक सुरक्षा की दृष्टि से भारतीय दृष्टिकोण का स्पष्ट रूप से समर्थन करके यह कहा कि केवल "दक्षिण एशिया को परमाणु विहीन' क्षेत्र बनाए जाने का कोई औचित्य नहीं है और उस सम्बन्ध में विश्वव्यापी स्तर पर विचार किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होने नेपाल की प्रतिरक्षा सम्बन्धी प्राथमिकताओं में भी चीन के मुकाबले भारत को प्रमुखता देकर दोनों देशों के बीच चले आ रहे सदियों पुराने सांस्कृतिक सम्ब

न्धों को बहुत अधिक मजबूत ही नहीं बनाया बल्कि संयुक्त पत्रकार सम्पेलन में हिन्दी में बोलकर करोड़ो भारतीयों का हृदय भी जीत लिया।

भारतीय नताओं से बहुपक्षीय वार्ता के साथ नेपाली प्रधानमंत्री ने अतीत की कड़ुवाहट भुलाकर नये परिप्रेक्ष्य में 5 पारस्परिक हितों के समझौते किए। इन समझौतों में व्यापार की नयी संधि अभी पांच वर्ष के लिए है किन्तु उसे आगे भी बढ़ाया जाता रहेगा, ऐसा आश्वासन दिया गया है। इसमें पिछली संधि में प्रायः सभी तथ्यों के साथ जून 1990 की तटकर रियायतों और नेपाली निर्यात को भी बढ़ावा देने की सुविधा को समाहित किया गया है। दोनों देश पिछली संधि के आधार पर ही आगामी सात वर्ष हेतु नयी पारगमन संधि करने पर सहमत हो गये। भारत ने नेपाली आयात और निर्यात को विशेष सुविधाएं दी हैं। वे जल संसाधन विकास हेतु करनाली, पंचेश्वर तथा सप्तकोशी जैसी बृहद योजनाओं पर सहमत हो गये हैं। वे बूढ़ी-गंडक की बाढ़ समस्या के हल हेतु भी सहमत हो गये हैं। दोनों देश अनधिकृत व्यापार का रोक लगाने, सिंचाई पन बिजली योजना तथा कृषि में सहयोग को भी सहमत हो गये हैं।

भारत में टनकपुर बैराज से नेपाल के महेन्द्र नगर तक को जोड़ने वाले राजमार्ग और आरंभ में नेपाल को प्रति वर्ष एक करोड़ युनिट बिजली की मुफ्त आपूर्ति का आश्वासन देकर अपनी सदाशयता का परिचय दिया है, साथ ही टनकपुर बैराज के कारण नेपाल में बाढ़ न आने देने का पक्का आश्वासन दिया। "विश्वेश्वर प्रसाद फाउण्डेशन ट्रस्ट" कायम करके विज्ञान, तकनीकी, कृषि एवं अन्य विकास योजनाओं को अग्रसर करने का मार्ग प्रशस्त किया। इसके अतिरिक्त भारत ने कागज, शक्कर, सीमेंट उद्योगों को भारतीय पूँजी की सहायता से नेपाल में कायम करने, विराटनगर में "विश्वेश्वर प्रसाद स्मृति" मेडिकल कालेज, काठमांडू में "विश्वेश्वर प्रसाद नेत्र संस्थान" रांगोली में "दूरभाष केन्द्र", विराटनगर, झापा ओर छतारा वीरपुर की सड़कों का निर्माण, जनकपुर-बीजलपुर के रेल लाइन के नवीनीकरण और रक्सौल तक की रेल लाइन को

बड़ी लाइन में परिवर्तित करना तथा भारत - नेपाल के नागरिक उड्डयन तथा पर्यटन विकास में सहयोग के लिए भी सहमत हो गया है जो एक शुभ लक्षण है।

सम्बन्धों की उत्कट श्रृंखला में भारतीय प्रधानमंत्री पी.वी.नरसिम्हा राव अक्टूबर 1992 में तीन दिवसीय नेपाल यात्रा की। इस दौरान उन्होनें कहा कि यह यात्रा दोनों देशों के बीच परम्परागत मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों में एक नयी कड़ी सिद्ध होगी। दोनों देशों के नेता इस बात पर एक मत थे कि भारत को निर्यात योग्य नेपाली वस्तुओं की मात्रा वर्तमान 55 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत कर दी जाए। निजी वाहनो के आबाध आवागमन तथा परिवर्तनीय मुद्रा द्वारा भारतीय माल की खरीद किए जाने पर भी दोनों पक्ष सहमत थे। भारतीय बाजारों में नेपाल के सुगम प्रवेश के लिए भारत ने उदार शर्तों पर उसे एकमुश्त अड़चनों के निवारण पर भी सहमति व्यक्त की। वर्तमान प्रोफार्मा क्लियरेंस प्रणाली समाप्त कर दिया गया तथा नेपाल को यह अधिकार दिया गया कि निर्यात योग्य माल के मूल्य के विषय में प्रमाण-पत्र जारी कर सकें नेपाली वाहन कलकत्ता व हल्दिया तक बिना किसी रोकटोक के आ सकेंगे और नेपाल से निर्यातित माल से प्रतिबंधों को भी शिथिल कर दिया गया।

जल संसाधन के क्षेत्र में करनाली, पंचेश्वर, सप्तकोशी, बूढ़ी-गंडक, कमला और बागमती नदियों पर परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए समय सीमा निश्चित की गयी। टनकपुर बैराज विवाद की समस्या का हल ढूँढा गया। इस बैराज से नेपाल की सम्प्रभुता का प्रश्न जुड़ गया था। इसके प्रत्युत्तर में भारत ने टनकपुर विद्युत केन्द्र से नेपाल को प्रति वर्ष 2 करोड़ युनिट बिजली निःशुल्क आपूर्ति जारी रखने पर भी सहमति व्यक्त की। दोनों देशों के मध्य बाढ़ पूर्वानुमान चेतावनी प्रणाली स्थापित करने पर तथा शारदा बैराज से नेपाल को जल आपूर्ति जारी रखने पर भी सहमति हो गयी है। इसका लाभ भारत को मिलेगा ही साथ ही नेपाल भी विश्व के समृद्धतम देशों में आ सकेगा।

इस यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि भारत ने पुनः नेपाली वस्तुओं को अपने बाजार में प्रवेश की छूट दे दी जिस पर 1989 में प्रतिबन्ध लगा दिया गया था। भारत द्वारा अपनाए गये इस सहयोगपूर्ण रूख से दोनों देशों के बीच आपसी सम्बन्धों में एक विशेष माधुर्यता की संभावना बढ़ी है।

दिसम्बर 1993 में नयी दिल्ली में मंत्रिस्तरीय वार्ता के फलस्वरूप भारत - नेपाल जल संसाधनों के संयुक्त उपयोग के द्विपक्षीय समझौते के क्रियान्वयन को नयी गति देने के निकट पहुँच गये हैं भारतीय जल संसाधन विकास मंत्री ने बताया कि भारत ने पंचेश्वर परियोजना पर काफी अच्छी प्रगति की है। इसके साथ ही कोसी परियोजना के सम्बन्ध में नेपाल का रूख उत्साहजनक न था किन्तु मई 1994 में इस पर विचार करने के लिए सहमत हो गया ताकि व्यवहारिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा सके।

उन्होंने यह भी बताया कि नये समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार 1994 में विभिन्न कार्यकलाप शुरू किये जाने का कार्यक्रम है और नेपाल की ओर से मिलने वाले सहयोग के आधार पर अगले लगभग दो वर्षों (1994-95) में दोनों पक्षों द्वारा ये कार्य किए जा सकते हैं। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि नयी परियोजनाओं को प्रारंभ करने में मुख्य कठिनाई इन परियोजनाओं की लागत तथा उनसे होने वाले लाभों के बारे में समझौते की कमी है। अतः दोनों राष्ट्रों को सहयोग से कार्य करने तथा विभिन्न घटकों के बीच परियोजना लागत बांटने एवं आपसी लाभों के आंकलन करने की पद्धति को अंतिम रूप देने का विचार प्रस्तुत किया गया।

नेपाल नरेश वीरेन्द्र विक्रम शाह देव की यात्रा मैत्री एवं सहयोगपूर्ण सम्बन्धों के विस्तार की अभिलाषा से प्रेरित रही है। भारतीय राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने कहा कि नेपाल नरेश की यात्रा दोनों देशों के बीच मैत्री एवं सद्भाव के अक्षतकोष का ही प्रतीक है। दोनों देशों ने न केवल अपनी - अपनी जनता बल्कि समूची मानवता की समृद्धि एव प्रसन्नता चाहते हैं। उन्होंने कहा कि

दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस) के देशों को सभी राष्ट्रों की सम्प्रभुता और समानता के आदर्श से संचालित होना चाहिए। भारत और नेपाल इसी भावना से कार्यरत हैं।

उर्पयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि भारत - नेपाल के मध्य कुछ सकारात्मक पक्ष तथा कुछ नकारात्मक पक्ष उपस्थित हैं जिनके कारण सम्बन्ध बनते तथा बिगड़ते रहे हैं। सकारात्मक पक्ष से हमारा अभिप्राय यह है कि नेपाल में हिन्दू बाहूल्य है जिस कारण दोनों देश भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। दूसरी ओर सुरक्षा के प्रश्न पर उत्तरी भारत की सुरक्षा बहुत कुछ नेपाल की सुरक्षा पर निर्भर करती है। दोनों देशों के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक सम्बन्ध एक समान हैं। विभिन्न समझौते से भारत - नेपाल के व्यापार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। जब-जब समझौते हुए हैं भारत - नेपाल के आयात - निर्यात व्यापार में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। नेपाल के कुल व्यापार में भारत का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है।

नेपाल कृषि सम्बन्धी अग्रणी है। वह अनाज के निर्यात को प्रधानता देता है। नेपाल में आयात की क्षमता काफी थी। इस सम्बन्ध में ऐसा माना गया कि नेपाल उन वस्तुओं का भी आयात करता था जिसका उत्पादन वह स्वयं कर सकता था। इस तथ्य के पीछे यह कारण रहा है कि नेपाल में उत्पादित कच्चे माल का सदुपयोग की अच्छी तकनीकी तथा विशेषज्ञों का अभाव प्रमुख है। इस कारण व्यापारिक संरचना नेपाल की आद्योगिक दृष्टि से पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था का द्योतक है।

सामान्यतः नेपाल में भारतीय परियोजनाओं और आर्थिक सहायता की कटु आलोचना की जाती रही है। यह कहा गया कि भारत नेपाल का अग्रज भाई की तरह वर्चस्व बनाये रखने का प्रयास कर रहा है। यह भी तर्क दिया जाता रहा है कि भारत सदैव यह बताने की कोशिश करता रहा है कि नेपाल भारत पर आश्रित है, किन्तु एक अर्थ में यह तथ्य अब अप्रासंगिक है क्योंकि नेपाल सम्प्रभु राष्ट्र है, उसे अन्य राष्ट्रों से सहायता मिल सकती है, भले ही यह सहायता भारत

के विरूद्ध एक रणनीति हो किन्तु वास्तविक अर्थों में उपयुक्त तथ्य सही नहीं है। जितनी सहायता नेपाल को भारत जैसे पड़ोसी देश से मिलेगी उतनी अन्य राष्ट्रों से कदापि नहीं मिलेगी। इस तथ्य की झलक 1989 की आर्थिक संकट के दौरान सामने उभरकर आई। उस समय पाकिस्तान और बांग्लादेश इस प्रसंग पर नजर लगाए हुए थे। इन दोनों देशों ने इस मामले को नया दक्षिण एशियाई आयाम देते हुए "बड़े भाई" भारत से झगड़े के चलते नेपाल से सहानुभूति जताई तथा भारत के विरूद्ध विषवमन करते रहने को प्रलोभित तथा समर्थन का आश्वासन भी दिया। लेकिन नेपाल की आर्थिक विषमता को वह दूर नहीं कर पाये। नेपालियों द्वारा भारतीय सहायता की इस प्रकार आलोचना की गयी कि भारत नेपाल की सम्प्रभुता को बाधित करना चाहता है या परियोजनाओं से स्वयं ही अधिकाधिक लाभ उठाना चाहता है या भारत का उद्देश्य नेपाल का आर्थिक विकास नहीं वरन् अपनी सामरिक हित की पूर्ति करना है।

वस्तुतः नेपाल की अल्पविकास की समस्या तीव्र औद्योगिक विकास की है किन्तु पर्वतीय देश होने के कारण आर्थिक विकास करना दीर्घकालीन प्रक्रिया है। पर्यटन के विकास के लिए पर्याप्त संभावनाएँ हैं औद्योगिक विकास न होने के कारण निर्यात का बहुमुखीकरण नहीं हो सका है। अतः नेपाल को इस ओर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए नेपाल को जलवायु की उपयुक्तता के अनुसार फलों की बागवानी, फूलों की बागवानी, शाल तथा शीशम की लकड़ी, कागज़ बनाने वाले घास के उत्पादन पर विशेष ध्यान देना चाहिये भारत और अन्य देशों को इन वस्तुओ की निरन्तर आवश्यकता पड़ती है। नेपाल में यह प्रचुरता से उपलब्ध है। इस प्रकार नेपाल के राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होगी। नेपाल कलात्मक वस्तुओं के निर्यात में भी वृद्धि कर सकता है। इसी तरह से व्यापार के अंतराल को कम करने के लिए नेपाल को पर्यटन को बढ़ावा देना चाहिए जिस पर नेपाल पूर्णतया ध्यान नहीं दे रहा है। इसके लिए भारत तथा अन्य देशों में नेपाल के पर्यटन स्थल के बारे में समुचित विज्ञापन तथा प्रचार होना चाहिए, जो नेपाल के लिए एक महत्वपूर्ण मदद सिद्ध हो

सकता है। कुछ भूगर्भ शास्त्रियों का मानना है कि नेपाल के तराई में खनिज तेल का भंडार है। भारत तथा अन्य देशों की सहायता से खोज करके नेपाल लाभान्वित हो सकता है। साथ ही, नेपाल विदेशी मुद्रा भी अर्जित कर सकता है।

भारत - नेपाल सम्बन्ध की सबसे बड़ी चुनौती उत्तरोत्तर तस्करी है। नेपाल विदेशी सामान का बाजार है। भारत में विदेशी वस्तुओं को लाना वर्जित है। अतः इसे अवैध ढंग से नेपाली मार्ग से पहुँचाया जाता है। मुख्य कारण यह है कि विदेशी वस्तुओं को नेपाल मँगवा तो लेता है परंतु इसकी खपत कहाँ करे। नेपाल के सबसे निकट भारतीय बाजार ही दिखता है। नेपालियों का कहना है कि 90 फीसदी से अधिक कारोबार भारतीय मुद्रा में होता है। प्रतिदिन इनका कारोबार 1.7 करोड़ भारतीय मुद्रा सीमा पार चली जाती है। दूसरी तरफ नेपाल भारतीय वस्तुओं की भी तस्करी करके विश्व के अन्य देशों को विशेषकर चीन को भेजता है। इसके बदले चीन नेपाल को सस्ते विलासिता के समान भेजता है, जो नेपाल भारत में तस्करों के माध्यम से भेजता है।

इस संदर्भ में भारत के विदेशमंत्री दिनेश सिंह तथा नेपाल राष्ट्रीय योजना आयोग के सदस्य विजय बहादुर प्रधान ने सुझाव दिया कि दोनों देशों की सीमा बंद कर दी जाए। परन्तु इससे तस्करी कदापि नहीं बंद हो सकती, पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा बंद होने पर ही तस्करी बंद हो सकती है। दूसरी तरफ सीमा बंद होने से दोनों देशों की अर्थव्यवस्था अवश्य प्रभावित होगी।

भारतीय पारगमन सुविधा से नेपाल संतुष्ट नहीं है। इसलिये उसने स्वतंत्र पारगमन तथा स्वतंत्र रूप से समुद्र तक पहुँचने की मांग की। इस सम्बन्ध में भारत सरलता बरत सकता है परन्तु उसे तस्करी के मामले में हमेशा सशंकित रहना पड़ता है। यदि नेपाल विवेकपूर्ण एवं व्यवहारिक नीति के कारण इस सम्बन्ध में भारतीय शंका को दूर कर दे तो नेपाल को सभी इच्छित पारगमन

सुविधा मिल सकती है। पारगमन के सभी इच्छित पारगमन सुविधा मिल सकती है। पारगमन के सम्बन्ध में यातायात, रेल, वाहन, हवाई जहाज एंव जल यातायात को सम्मिलित कर लेना चाहिए। नेपाल ने अभी तक रेल और सड़क का प्रयोग किया है। किन्तु कोसी, गण्डक और करनाली नदी का प्रयोग बंदरगाह तक पहुँचने के लिए किया जाय तो पारगमन सम्बन्धी बहुत सी समस्यायें हल हो सकती हैं। कलकत्ता बंदरगाह से माल मंगाने में काफी समय लग जाता है। इसके लिए नेपाल भी समान जहाज पर लदेगा जो काढ़ागोला (पूर्णिया) से कोसी में प्रवेश कर सोनपुर के पास गण्डक होकर सीधे नेपाल पहुँच जाएगा। यह सुझाव दिया गया कि पारगमन समझौते में जल और वायु यातायात को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए।

भारत और नेपाल के बीच सीमांए सर्वथा खुली हैं। बिना किसी अभयपत्र या परिचय-पत्र के भारतीय और नेपाली नागरिक कभी भी आवागमन कर सकते हैं। यदि नेपाल भारतीय पर परिचय-पत्र लागू करता है तो यह 1950 की संधि के प्रतिकूल है जिसे भारत भी मानने से इंकार करेगा परन्तु यह मैत्रीपूर्ण व्यवस्था भारत और नेपाल के लिए संकट को जन्म दे रही है। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए बांग्लादेश से बंगाली भारत आकर, भारतीय नागरिकता का असली-नकली प्रमाण-पत्र दिखाकर भारी संख्या में अवैध रूप से नेपाल में घुसते आ रहे हैं। माओवादी , आई.एस.आई. के एजेंट, तस्कर एवं अपराधी तत्वों का सक्रिय अवैध पारगमन को नियंत्रित करना दोनों राष्ट्रों की सुरक्षा हेतु अत्यन्त आवश्यक है। इस दिशा में वर्तमान समय में भारत एवं नेपाल द्वारा पारगमन हेतु पहचान-पत्र की अनिवार्यता अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है।आवश्यकता इस बात की है कि दोनों राष्ट्र कठोरता पूर्वक इस व्यवस्था का पालन करें। भारत के सतर्कता विभाग, एस.एस.बी., सीमावर्ती राज्यों सिक्किम, पं0बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल आदि की पुलिस को अत्यधिक सतर्कता के साथ निगरानी करने की आवश्यकता है, जो भारतीय सुरक्षा के सन्दर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है। पड़ोस के भूटान से नेपाली मूल के हजारों लोग शरणार्थी बनकर

नेपाल में डेरा डाले हुए हैं। इसाई पादरी पहाड़ी क्षेत्रों में नेपाल का इसाईकरण करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही कश्मीर से मुस्लिम जत्था का भी नेपाल में घुसपैठ जारी है। इस प्रकार नेपाल में उभर रहा - इसाई, मुस्लिम और कम्युनिस्ट त्रिकोण भारत के साथ सम्बन्धों में दरार ला सकता है तथा भारत विरोधी प्रचार करके नेपाली जनता की भावनाएँ इस सीमा तक उभार सकती है कि एक दिन भारत विरोध ही नेपाली राष्ट्रीयता का पर्याय बन जाए। यह भी एक विचारणीय विषय है।

शीत युद्धोत्तर कालीन नवीन अन्तर्राष्ट्रीय संदर्भ जहाँ राष्ट्रीय प्रभुता के कठोर प्रतिमान का स्थान आर्थिक परस्परता पर आधारित विश्वव्यापी संस्थाएँ ले रही हैं, भारत एवं नेपाल दानों को नये राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय समीकरण बनाने की चुनौती दे रहा है। भारत अपनी सामरिक एवं सुरक्षा सम्बन्धी परंपरागम क्षेत्रीय धारणा को तिलांजली न दे, अपितु इसे पुनः धारणागत करे। दक्षिण एशिया के राष्ट्रों की राष्ट्रीय अस्मिता एवं सुरक्षा सम्बन्धी संवेदनशीलता को ध्यान में रख कर ही भारत एवं नेपाल अपनी वैदेशिक नीति का निर्धारण करे -- यही इस नवीन युग की परस्परता का आग्रह एवं आवश्यकता है।